न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्री ब्रजेश कुमार चान्दोलिया आर.ए.एस.

अपील संख्या:– 190/2023 (GCMS No. 2023/198) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. शिवलाल पुत्र श्री अखैसिंह जाति जाट निवासी बरखेडा तहसील नगर जिला भरतपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार नगर।

.....उत्तरवादी

अपील अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट विरूद्ध निर्णय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग दिनांक 12.03.2007 मुकदमा नं. 15/07 उनवानी शिवलाल बनाम सरकार।

उपस्थिति:–

1. अपीलांट की ओर से श्री महाराजसिंह डागुर, वकील।

नि र्ण य **दिनांक : 21.05.2024**

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग के आदेश दिनांक 12.03.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 86 रकवा 0.06 वांके ग्राम बरखेडा तहसील नगर पर निर्माण कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा नायब तहसीलदार नगर के समक्ष पेश की। नायब तहसीलदार नगर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.02.2007 से अपीलार्थी को 3 माह के सिविल कारावास एवं पैनल्टी व बेदखली के दण्ड से दण्डित किया गया। जिसकी अपील अपीलार्थी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग के समक्ष पेश की। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग द्वारा अपीलार्थी को बिना सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.03.07 पारित कर अपीलार्थी की अपील खारिज कर दी। जिनके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई हाजिर अदालत नहीं आया।
3. अपीलांट के अभिभाषक को अपील पर सुना गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

4. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलांट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 86 रकवा 0.15 वांके ग्राम बरखेडा तहसील नगर पर अपीलार्थी बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। पूर्व में यह आराजी उसकी घर, खेवट व खुद काश्त आराजी रही है। मौके पर विवादित आराजी आवासीय उद्देश्य के लिए काम में आ रही है यानी आबादी है। उक्त भूमि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 103(वी) के अन्तर्गत आबादी भूमि की एवं धारा 5(24) राज. काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत भूमि की संज्ञा में नहीं आती है। उक्त भूमि पर अधीनस्थ न्यायालय को खण्डनाधीन आदेश देने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार नगर एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग दोनों ने ही अपीलार्थी को विधिवत सुनवाई का मौका नहीं दिया और न उनको साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका दिया गया तथा स्वयं न्यायालय ने भी मौके की स्थिति का अवलोकन किया है। अधीनस्थ न्यायालय में जब अपीलार्थी उपस्थित नहीं रहा तो प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। ऐसे ही विचारण न्यायालय ने भी प्रकरण अपीलार्थी की अनुपस्थिति में गुणावगुण पर तय किया है। अपीलार्थी अतिक्रमी नहीं है बल्कि बोनाफाईड आधिपत्यधारी है इसके अलावा उसे पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानना भी कतई न्याय संगत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना पूर्व निर्णय की प्रतिलिपि के खण्डनाधीन आदेश पारित करने में भूल की है। दीवानी सजा का उपाय एक गंभीर उपाय है जो न्यायालय द्वारा साधारण परिस्थितियों में प्रयोग नहीं करना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण कानूनी बंदिश को ध्यान में नहीं रखा। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग का आदेश दिनाक 12.03.2007 एवं नायब तहसीलदार नगर का आदेश दिनांक 21.02.2007 निरस्त किया जावे।

4. विद्वान वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार नगर द्वारा अपीलांट को आराजी ख.नं. 86 रकवा 0.06 पर अतिक्रमी मानकर सिविल कारावास के दण्ड एवं बेदखल करने के दण्ड से दण्डित किया। उक्त आदेश के विरूद्व अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग में अपील पेश की। अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग द्वारा अपीलाधीन आदेश से अपील अपीलांट व उसके अभिभाषक जानबूझकर उपस्थिति नहीं होने से उनकी अनुपस्थिति दर्ज कर खारिज कर दी। अपीलांट का कथन है कि उसे विधिवत सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वांत के खिलाफ है। अपीलांट का कब्जा कौनसी भूमि पर है उसकी मौके पर पैमाईश कराया जाना पत्रावली पर प्रमाणित नहीं है। बिना पैमाईश के अतिक्रमण का

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

निर्धारण किस प्रकार किया यह भी स्पष्ट नहीं है। मौके का नजरी नक्शा या ट्रेस पेपर पर अतिक्रमण को अंकित करते हुये दर्शाया गया हो ऐसा कोई दस्तावेज पटवारी द्वारा पेश करना पत्रावली पर नहीं पाया गया। इस तथ्य का विवेचन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है साथ ही सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना निर्णय पारित किये जाने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक भूल की है जो विधि विरूद्व है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर रिमाण्ड किये जाने योग्य है।

5. फलस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार नगर दिनांक 21.02.07 एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग का आदेश दिनांक 12.03.07 निरस्त किये जाते हैं तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित आराजी के मौके की पैमाईश कराई जाकर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः आदेश पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 21.05.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर